"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 46] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 15 नवम्बर 2013—कार्तिक 24, शक 1935

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं कु. रिया गयासेन आत्मजा श्री रंजन कुमार गयासेन, उम्र 25 वर्ष, निवासी-क्वा. नं. 1 ए/सड़क नं. 33, सेक्टर-9, भिलाई तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) की हूं. यह कि मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों एवं पासपोर्ट व पैन कार्ड तथा समस्त शासकीय, अशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम विकास गयासेन आत्मज श्री रंजन कुमार गयासेन अंकित है को परिवर्तित कर मैं अपना नया नाम कु. रिया गयासेन रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अतः अबसे मुझे कु. रिया गयासेन आत्मजा श्री रंजन कुमार गयासेन के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जाये.

पुराना नाम	नया नाम
विकास गयासेन "VIKAS GAYASEN" आत्मज-श्री रंजन कुमार गयासेन निवासी-क्वा. नं. 1 ए/सड़क नं.- 33 सेक्टर-9, भिलाई तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)	कु. रिया गयासेन "KU. RIYA GAYASEN" आत्मजा-श्री रंजन कुमार गयासेन निवासी-क्वा. नं. 1 ए/सड़क नं.- 33 सेक्टर-9, भिलाई तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, अश्वनी कुमार यादव पिता श्री एम. एस. यादव, आयु-27 वर्ष, निवासी क्वा. नं. P.W.D.-160, थाना-छावनी, केम्प-2, पावर हाऊस, भिलाई तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे दसवीं एवं बारहवीं की अंकसूची में मेरा नाम त्रुटिवश अश्वनी कुमार (ASHWANI KUMAR) अंकित हो गया है को सुधार कर मैं अपना पूरा व सही नाम अश्वनी कुमार यादव (ASHWANI KUMAR YADAV) दर्ज किये जाने सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अबसे मुझे अश्वनी कुमार यादव पिता श्री एम. एस. यादव के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जाये.

पुराना नाम	नया नाम
अश्वनी कुमार (ASHWANI KUMAR) पिता-श्री एम. एस. यादव निवासी-क्वा. नं. P.W.D.-160 थाना-छावनी, केम्प-2, पावर हाऊस, भिलाई तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)	अश्वनी कुमार यादव (ASHWANI KUMAR YADAV) पिता-श्री एम. एस. यादव निवासी-क्वा. नं. P.W.D.-160 थाना-छावनी, केम्प-2, पावर हाऊस,भिलाई तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, हीरासिंह राणा आत्मज श्री कोदूराम, जाति हल्बा, निवासी ग्राम अरमुरकसा, पो. कुसुमकसा थाना दल्लीराजहरा, तहसील डौण्डी, जिला बालोद (छ. ग.) का हूं. यह कि मैं भिलाई इस्पात संयंत्र के अंतर्गत दल्लीराजहरा माईन्स में सर्वे विभाग में अटेन्डेन्ट के पद पर पदस्थ/कार्यरत हूं. मेरा वास्तविक नाम हीरासिंह राणा है जो मेरे मतदाता परिचय पत्र, राशन कार्ड, स्मार्ट कार्ड व अन्य दस्तावेजों में अंकित है किन्तु मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा नाम हीरासिंह राणेन्द्र अंकित होने के कारण मेरे सर्विस रिकार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम हीरासिंह राणेन्द्र दर्ज हो गया है. मैं अपने उपनाम राणेन्द्र को परिवर्तित कर अपना नया नाम हीरासिंह राणा रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे हीरासिंह राणा आत्मज श्री कोदूराम के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
हीरासिंह राणेन्द्र निवासी-ग्राम अरमुरकसा, पो. कुसुमकसा तह. डौण्डी, जिला बालोद (छ. ग.)	हीरासिंह राणा निवासी-ग्राम अरमुरकसा, पो. कुसुमकसा तह. डौण्डी, जिला बालोद (छ. ग.)

विविध

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, राजनांदगांव (छ. ग.)

राजनांदगांव, दिनांक 9 अक्टूबर 2013

क्रमांक/864/उपंरा/स्वा./परि./2013.—चूंकि जयदेवा स्वायत्त साख सहकारिता मार्यादित राजनांदगांव पंजीयन क्रमांक 12, जिला राजनांदगांव को छत्तीसगढ़ स्वायत्त सहकारिता अधिनियम 1999 की धारा 60 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर कार्यालयीन आदेश क्रमांक/732/उपंरा/परिसमापन/2013 राजनांदगांव, दिनांक 06-09-2013 से श्री पी. आर. देशमुख, अंकेक्षण अधिकारी, राजनांदगांव को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

संस्था के परिसमापक श्री पी. आर. देशमुख, अंकेक्षण अधिकारी, राजनांदगांव द्वारा छत्तीसगढ़ स्वायत्त सहकारिता अधिनियम 1999 की धारा 62 (2) के अन्तर्गत अंतिम प्रतिवेदन मेरे समक्ष प्रस्तुत किया गया है जिससे मैं संतुष्ट हूं और धारणा करता हूं कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करना आवश्यक एवं वांछनीय हो गया है.

अतएव मैं, एस. एल. विश्वकर्मा उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं राजनांदगांव छत्तीसगढ़ शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15-19/15-02/2012/03 रायपुर, दिनांक 4 मई 2012 द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं छ. ग. के शक्तियों का उपयोग करते हुए छत्तीसगढ़ स्वायत्त सहकारिता अधिनियम 1999 की धारा 65 (4) के अन्तर्गत जयदेवा स्वायत्त साख सहकारिता मर्यादित राजनांदगांव पंजीयन क्रमांक 12, जिला राजनांदगांव का पंजीयन निरस्त करता हूं और उक्त संस्था का निगमित निकाय (बाडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 09-10-2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

एस. एल. विश्वकर्मा,
उप पंजीयक.

कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर (छ. ग.)

बिलासपुर, दिनांक 15 अक्टूबर 2013

[अन्तर्गत छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2)]

क्रमांक/उपबि/परि./2013/1195.—वस्तुतः इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/उपबि/परि./2013/854, दिनांक 31-07-2013 के द्वारा शिवम गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित, बिलासपुर (छ. ग.) पंजीयन क्रमांक 98 के संचालक मंडल के समस्त सदस्य द्वारा श्री अजय कुमार सिंह, अध्यक्ष को कारण बताओ सूचना पत्र अन्तर्गत छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) जारी किया गया था. जिसका विषयवस्तु निम्नानुसार था-

"शिवम गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित, बिलासपुर, (छ. ग.) पंजीयन क्रमांक 98 द्वारा निर्वाचन ड्यू होने के उपरान्त भी निर्वाचन कराने में कोई रूचि नहीं ली गई तथा संस्था के अध्यक्ष ने अपने पत्र दिनांक 19-03-2012 द्वारा इस कार्यालय को यह अवगत कराया है कि संस्था की प्रबंधकारिणी ने बैठक दिनांक 15-03-2012 में निर्णय पारित हुआ है कि संस्था द्वारा भूखण्ड क्रय-विक्रय का कार्य करने में असमर्थ हो जाने के कारण काम-काज बंद हो गया है. उपरोक्त कारणों से शिवम गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित, बिलासपुर (छ. ग.) पंजीयन क्रमांक 98 का एक स्वतंत्र निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व में बने रहना छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के प्रावधानों के विपरीत होगा."

उपरोक्त कारण बताओ सूचना पत्र का शिवम गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित, बिलासपुर (छ. ग.) पंजीयन क्रमांक 98 के संचालक मंडल द्वारा कोई जवाब आज पर्यन्त प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे यह प्रमाणित होता है कि संचालक मंडल कारण बताओ सूचना पत्र से सहमत है.

अतएव छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ 15-19/15-02/2012/03, दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसाइटी, छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित हैं, का प्रयोग करते हुए मैं, उमेश तिवारी, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत् शिवम गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित, बिलासपुर, (छ. ग.) पंजीयन क्रमांक 98 को एतद्द्वारा परिसमापन में लाने का आदेश जारी करता हूं, तथा श्री आर. एल. सिंह, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के तहत् परिसमापक नियुक्त करता हूं

यह आदेश आज दिनांक 15-10-2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

उमेश तिवारी,
उप पंजीयक.

कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कोरबा जिला कोरबा (छ. ग.)

कोरबा, दिनांक 18 सितम्बर 2013

क्रमांक/उपंको/परिस/507/2013.—जिला कृषक विकास सहकारी समिति मर्या. कोरबा पंजीयन क्रमांक 14 दिनांक 17-10-2000 को परिसमापन में लाने संबंधी छ.ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 372 दिनांक 21-06-10 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ. अत: कार्यालय के आदेश क्र. 599 दिनांक 17-9-10 के द्वारा श्री व्ही. के. जेहोआश, सहकारिता विस्तार अधिकारी को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए श्री व्ही. के. जेहोआश, सहकारिता विस्तार अधिकारी के स्थान पर श्री के. बी. वारे., सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया जाता है.

कोरबा, दिनांक 18 सितम्बर 2013

क्रमांक/उपंको/परिस/508/2013.—कामधेनु दुग्ध उत्पादन सह. समिति कोरबा पंजीयन क्रमांक 20 दिनांक 15-02-01 को परिसमापन में लाने संबंधी छ.ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 372 दिनांक 21-06-10 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ. अत: कार्यालय के आदेश क्र. 598 दिनांक 17-9-10 के द्वारा श्री व्ही. के. जेहोआश, सहकारिता विस्तार अधिकारी को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए श्री व्ही. के. जेहोआश, सहकारिता विस्तार अधिकारी के स्थान पर श्री के. बी. वारे., सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया जाता है.

कोरबा, दिनांक 18 सितम्बर 2013

क्रमांक/उपंको/परिस/509/2013.—श्री तिरूपति ईंधन पूर्ति सह. समिति मर्या. कोरबा पंजीयन क्रमांक 45 दिनांक 15-01-2004 को परिसमापन में लाने संबंधी छ.ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 372 दिनांक 21-06-10 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ. अत: कार्यालय के आदेश क्र. 596 दिनांक 17-9-10 के द्वारा श्री व्ही. के. जेहोआश, सहकारिता विस्तार अधिकारी को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए श्री व्ही. के. जेहोआश, सहकारिता विस्तार अधिकारी के स्थान पर श्री के. एक्का, व. स. नि. को परिसमापक नियुक्त किया जाता है.

कोरबा, दिनांक 18 सितम्बर 2013

क्रमांक/उपंको/परिस/510/2013.—विशाल ईंधन पूर्ति सह. समिति मर्या. कोरबा पंजीयन क्रमांक 46 दिनांक 23-01-04 को परिसमापन में लाने संबंधी छ.ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 372 दिनांक 21-06-10 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ. अत: कार्यालय के आदेश क्र. 597 दिनांक 17-9-10 के द्वारा श्री व्ही. के. जेहोआश, सहकारिता विस्तार अधिकारी को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए श्री व्ही. के. जेहाआश, सहकारिता विस्तार अधिकारी के स्थान पर श्री के. एक्का, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया जाता है.

कोरबा, दिनांक 18 सितम्बर 2013

क्रमांक/उपंको/परिस/511/2013.—आदिवासी उपभोक्ता भण्डार सह. समिति मर्या., खरमोरा पंजीयन क्रमांक 64 दिनांक 11-02-05 को परिसमापन में लाने संबंधी छ.ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 372 दिनांक 21-06-10 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ. अत: कार्यालय के आदेश क्र. 603 दिनांक 17-9-10 के द्वारा श्री व्ही. के. जेहोआश, सहकारिता विस्तार अधिकारी को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए श्री व्ही. के. जेहोआश, सहकारिता विस्तार अधिकारी के स्थान पर श्री आर. जे. पाटले, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया जाता है.

कोरबा, दिनांक 18 सितम्बर 2013

क्रमांक/उपंको/परिस/512/2013.—पार्वती महिला उपभोक्ता भण्डार सह. समिति मर्या., खरमोरा पंजीयन क्रमांक 65 दिनांक 11-03-05 को परिसमापन में लाने संबंधी छ.ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 372 दिनांक 21-06-10 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ. अत: कार्यालय के आदेश क्र. 604 दिनांक 17-9-10 के द्वारा श्री व्ही. के. जेहोआश, सहकारिता विस्तार अधिकारी को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए श्री व्ही. के. जेहोआश, सहकारिता विस्तार अधिकारी के स्थान पर श्री आर. जे. पाटले, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया जाता है.

कोरबा, दिनांक 18 सितम्बर 2013

क्रमांक/उपंको/परिस/513/2013.—सर्वमंगला परिवहन सह. समिति मर्या., कोरबा पंजीयन क्रमांक 87 दिनांक 08-12-95 को परिसमापन में लाने संबंधी छ.ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 372 दिनांक 21-06-10 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ. अत: कार्यालय के आदेश क्र. 600 दिनांक 17-9-10 के द्वारा श्री व्ही. के. जेहोआश, सहकारिता विस्तार अधिकारी को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए श्री व्ही. के. जेहोआश, सहकारिता विस्तार अधिकारी के स्थान पर श्री आर. जे. पाटले, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया जाता है.

कोरबा, दिनांक 18 सितम्बर 2013

क्रमांक/उपंको/परिस/514/2013.—जागृति आबकारी सहकारी समिति मर्या. हरदीबाजार, वि. खं. पाली पंजीयन क्रमांक 3828 दिनांक 08-01-1997 को परिसमापन में लाने संबंधी छ.ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक ----- दिनांक -------- द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ. अतः कार्यालय के आदेश क्र. 130 दिनांक 14-02-03 के द्वारा श्री व्ही. के. जेहोआश, सहकारिता विस्तार अधिकारी को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए श्री डी.डी. जोगांश, सहकारिता विस्तार अधिकारी के स्थान पर श्री आर. के. ध्रुव, सहकारिता विस्तार अधिकारी को परिसमापक नियुक्त किया जाता है.

कोरबा, दिनांक 7 अक्टूबर 2013

क्रमांक/उपंको/परिस/551/2013.—विपणन सहकारी समिति मर्या. करतला, वि. खं. करतला पंजीयन क्रमांक 105 दिनांक 09-10-2007 को परिसमापन में लाने संबंधी छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 416 दिनांक 07-08-13 द्वारा दिया गया था. किंतु समिति की ओर से उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया.

अतः छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत् छ. ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ-15-19/15-02/2012/03, रायपुर दिनांक 04-05-2012 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं एन. कुजुर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कोरबा (छ. ग.) विपणन सहकारी समिति मर्या. करतला, वि. खं. करतला को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री एस. के. कंवर, सह. वि. अधि. को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

कोरबा, दिनांक 7 अक्टूबर 2013

क्रमांक/उपंको/परिस/552/2013.—विपणन सहकारी समिति मर्या. पाली, वि. खं. पाली पंजीयन क्रमांक 106 दिनांक 09-10-2007 को परिसमापन में लाने संबंधी छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 417 दिनांक 07-08-13 द्वारा दिया गया था. किंतु समिति की ओर से उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया.

अतः छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत् छ. ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ-15-19/15-02/2012/03, रायपुर दिनांक 04-05-2012 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं एन. कुजुर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कोरबा (छ. ग.) विपणन सहकारी समिति मर्या. पाली, वि. खं. पाली को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री एस. के. कंवर, सह. वि. अधि. को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

एन. कुजुर,
उप पंजीयक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.